शिक्षक-अध्यापकों का सशक्तीकरण

मैथिलि रामचन्द



इस लेख में मैं सेवा-पूर्व प्रारम्भिक शिक्षक-शिक्षा सेक्टर (जो शिक्षा में डिप्लोमा, डी.एल.एड. प्रदान करता है) में काम करने वाले शिक्षक-अध्यापकों के साथ हुए अपने अनुभवों[1] को साझा करूँगी। परिप्रेक्ष्य था 2012-13 में एस.सी.ई.आर.टी., कर्नाटक द्वारा डी.एल.एड. प्रोग्राम के पाठ्यचर्या सुधार का काम। लेख शिक्षक-अध्यापकों की तैयारी और व्यवहार को समस्यामूलक नजरिए से देखते हुए उस पर विचार करता है।

शिक्षक-शिक्षा इस समय हमारे देश में निरन्तर परिवर्तन और प्रवाह की अवस्था में है। शिक्षकों से आशाएँ हर ओर से बढ़ रही हैं जबकि समता के मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं और लगभग हर श्रेणी के स्कूलों में ये और प्रबल ही हुए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 तथा जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2012 की रोशनी में शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्थात्मक बदलावों की शुरुआत की जा रही है। देश भर में शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में फिर से फेर-बदल किए जा रहे हैं। उद्देश्य यह सुनिश्चित करने का है कि संशोधित स्कूली पाठ्यचर्या की बोधात्मक माँगों को शिक्षक पूरा कर पाएँ और समावेशी कक्षाओं के लिए नए कानून द्वारा आदेशित आवश्यक दक्षताओं और शपथों को विकसित कर पाएँ। इस तरह के कार्यक्रमों के लागू किए जाने में शिक्षक-अध्यापक एक कुंजी की तरह हैं।

शिक्षक-शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एन.सी.एफ़.टी.ई.,2009) सेवा-पूर्व और सेवाकालीन, दोनों क्षेत्रों के लिए शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों के पाठ्यचर्या-सम्बन्धी संशोधनों हेतु पथ-निर्देश देती है। विचारशील व्यवहार को शिक्षक-शिक्षा के केन्द्रीय सिद्धान्त के तौर पर एक शर्त माना गया है। विचारशील व्यवहार 'प्राप्त' ज्ञान के प्रति आलोचनात्मक नजरिए की माँग करता है और अपने ज्ञान और व्यवहार को लगातार निरीक्षण किए जाने वाली परिकल्पना के रूप में लेने की माँग भी (सॉकेट, 2008)। इस समय शिक्षक-अध्यापक ऐसा कर पाने के लिए लैस नहीं हैं। उनमें ज्ञान को एक 'मौजूद, दी गई' चीज के तौर पर देखने की प्रवृत्ति है और व्यवहार को वे अधिकतर लेक्चर के माध्यम से परोसे जाने वाले कुछ स्थायी 'तरीकों' के रूप में देखते हैं (मैथिलि, 2011)। यह मूल रूप से इसलिए है कि अपने व्यवसाय की शुरुआत में शिक्षक-अध्यापकों को ज्ञान की मौजूदा कसौटियों और नियमों की आलोचना कर पाने के काबिल विद्वान के रूप में आवश्यक ज्ञान, दक्षताओं और प्रवृत्तियों के साथ तैयार नहीं किया जाता। एन.सी.एफ़.टी.ई. भी इस ओर ध्यान दिलाता है कि "शिक्षक-शिक्षा का शायद सबसे कमजोर पक्ष शिक्षक-अध्यापकों की पेशेवर तैयारी का अभाव है" (एन.सी.टी.ई., 2009; पृष्ठ 15)। शिक्षक-अध्यापकों के लिए आदेशित पेशेवर योग्यता एम.एड. है। इससे पहले इस प्रोग्राम में जीवंतता नहीं थी और यह शिक्षक-अध्यापकों को अपने व्यवसाय की माँगों को पूरा कर पाने के लिए पर्याप्त तरीके से लैस करने में असफल रहा है (एन.सी.टी.ई., 2009)। शिक्षक-अध्यापकों के लिए बाद में ज्ञान का एक मजबूत आधार तैयार करने हेतु पेशेवर विकास के मौके भी बहुत सीमित होते हैं (वही)। कर्नाटक में किए गए एक अध्ययन[2] में प्रारम्भिक शिक्षक-शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षक-अध्यापकों ने बताया कि वे किसी भी सेवाकालीन प्रोग्राम में नहीं रहे हैं (मैथिलि, 2011)।

इसलिए जब कर्नाटक सरकार ने 2012 में डी.एड. कार्यक्रम की पाठ्यचर्या में संशोधन की पहलकदमी ली तो राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.एस.ई.आर.टी.) ने शिक्षक-अध्यापकों के सशक्तीकरण के लिए कई कदम उठाने शुरू किए। पाठ्यचर्या संशोधन की प्रक्रिया के लिए उनमें से कुछ की सलाह लेने के अलावा संशोधित पाठ्यचर्या के व्यावहारिक आदान-प्रदान में मददगार होने के लिए निर्देश-पुस्तिका और कार्य-निदेशिकाओं की शक्ल में पाठ्यचर्या सहायक सामग्री प्रकाशित की गई। साथ ही सम्बद्ध विषय-क्षेत्रों के विशेषज्ञों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की शृंखला भी निकाली गई। दिशानुगमन (ओरिएंटेशन) प्रोग्राम भी किए गए – आमने-सामने के साक्षात् रूप में भी और टेलिकॉन्फ्रेंस से भी।

प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की एक सौ से भी अधिक कक्षाओं के अवलोकन से संकेत मिला कि कक्षा में आदान-प्रदान का एकमात्र तरीका लेक्चर का था (मैथिलि, 2011)। शिक्षक-अध्यापकों को इससे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए और उन प्रथाओं को मॉडल रूप में लाने के लिए जिन्हें एक प्राथमिक शिक्षक द्वारा अख्तियार किए जाने की आशा रहती है, पाठ्यचर्या मसौदा कमेटी ने शिक्षक-अध्यापकों के लिए एक निर्देश-पुस्तिका तैयार की।[3] प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रत्येक इकाई हेतु कुछ सुझाए गए बोधात्मक कार्यों और सीखने के अनुभवों के साथ-साथ सम्भावित संसाधनों और मूल्यांकन रणनीतियों का भी एक खाका खींचा गया। शिक्षक-अध्यापकों को प्रोत्साहित किया गया कि वे एक

‘पाठ्यपुस्तक’ पर निर्भरता से बाहर निकलने के लिए मुनासिब संसाधनों की शृंखला का इस्तेमाल करें। कक्षा में आदान-प्रदान की जीवंतता को सुनिश्चित करने के लिए और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन हो पाने के लिए संशोधित पाठ्यचर्या ने 40% अंक आन्तरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए। निर्देश-पुस्तिका में साधनों, तकनीकों और कार्यों की एक लड़ी सुझाई गई। जब शिक्षक-अध्यापकों ने एक सिरे से दूसरे तक सभी संस्थानों में आन्तरिक मूल्यांकन की गुणवत्ता बनाए रखे जाने बाबत शंकाएँ व्यक्त कीं तो मूल्यांकन पर भी एक कार्य-निर्देशिका तैयार की गई।

दो चरणों में एक दस-दिवसीय दिशानुगमन (ओरिएंटेशन) प्रोग्राम की योजना बनाई गई। प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आइ.ई.टी.) ने जिले से पाँच शिक्षक-अध्यापकों को मुख्य स्रोत-व्यक्ति के तौर पर चुना। लगभग 150 लोग इस प्रोग्राम में प्रतिभागी रहे। उसके बाद उन्होंने राज्य भर के 4000 से अधिक शिक्षक-अध्यापकों का उनके जिलों में दिशानुगमन किया। शिक्षक-अध्यापक देश में शिक्षा के वर्तमान विमर्शों और नीतियों से परिचित नहीं थे, इसलिए पाँच दिनों के पहले चरण में एन.सी.एफ़. 2005, एन.सी.एफ़.टी.ई. 2009 और शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की एक व्यापक समझ बनाने की क्रिया रही। दूसरे चरण का ध्यान डी.एड. प्रोग्राम के औचित्य और आशाओं तथा संशोधित पाठ्यचर्या के प्रत्येक पाठ्यक्रम के मोटे सिद्धान्त सम्प्रेषित करने पर केन्द्रित था। इस प्रकार के चरणबद्ध प्रशिक्षण में सन्देश के नीचे तक पहुँचने में कमजोरी रह जाना निहित है लेकिन समस्या इस वजह से और बढ़ गई कि निरन्तरता की भी कमी रही – कुछ प्रतिभागी, खासतौर से डाइट के प्राध्यापकगण अन्य प्रतिबद्धताओं की वजह से दोनों चरणों में उपस्थित नहीं रह पाए। इसके अलावा प्रतिभागियों की संख्या बहुत अधिक होने की वजह से गहन बातचीत और वार्तालाप भी नहीं हो पाए। इन कमजोरियों को कुछ हद तक दूर करने के लिए 2013-14 में पाठ्यचर्या का मसौदा तैयार करने वाली टीम और कर्नाटक भर के शिक्षक-अध्यापकों के बीच हर तीन महीनों में एक टेलिकॉन्फ्रेंस की गईं – यह संशोधित पाठ्यचर्या के लागू किए जाने का पहला साल था।

बोलने-लेक्चर देने से आदर्श और निर्देशित व्यवहार की स्थिति में आने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, जबकि ये भी शिक्षक-शिक्षा के लिए अपर्याप्त हैं। अगर शिक्षक-शिक्षा को वास्तव में विचारशील और समावेशी होना है तो उसे जाँच के लिए सवाल उठाने, खोजबीन और समीक्षा का स्थल होना होगा तथा तकनीक भर से आगे तक जाना होगा (Loughran, 2014)। शिक्षक-अध्यापकों में अपने विद्यार्थी-शिक्षकों में “अनुकूलन की दक्षता” विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा हो पाने पर ही वे तेजी से हो रहे बदलावों और अनिश्चितता की स्थितियों में काम कर पाने वाले गतिशील शिक्षक के तौर पर उभर पाएँगे। सबसे महत्वपूर्ण यह कि ऐसा होने पर ही वे सामाजिक स्तर पर समावेशी व्यवहार और प्रथाओं के लिए क्षमताएँ विकसित कर पाएँगे तथा कई स्कूलों के भीतर (और व्यापक स्तर पर अलग-अलग स्कूलों में भी) उपलब्धि सम्बन्धी कमियों और अन्तरों को कम कर पाएँगे। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा में प्रचलित धारणाओं और प्रथाओं के साथ शिक्षक-अध्यापक अधिक गहरे ढंग से सूक्ष्मभेद करते हुए जूझें। उन्हें स्वयं के पेशेवर विकास के लिए एक दृष्टि पैदा करनी चाहिए और सुधारों के चालक के रूप में उभरना चाहिए न कि ‘सुधार के पात्रों’ के रूप में, जैसा कि पूनम बत्रा (2014) शिक्षकों के मामले में कहती हैं।

इसके साथ ही प्रवेश-सम्बन्धी शर्तों को और व्यापक बनाने में नियामक व्यवस्था को कल्पनाशील तथा दूरदृष्टि वाला होना होगा, जैसा कि एन.सी.एफ़.टी.ई. 2009 ने सुझाया है, ताकि विभिन्न पृष्ठभूमियों से सम्बद्ध और दिलचस्पी लेने वाले लोग शिक्षक-शिक्षा को पेशे के तौर पर लेने के लिए प्रोत्साहित हों। ऐसा होगा तो इसमें वो जीवन्तता भी आ पाएगी जिसकी बहुत जरूरत दिखाई देती है। संशोधित एम.एड.पाठ्यचर्या (एन.सी.टी.ई.,2014) के अर्थपूर्ण क्रियान्वयन के लिए इस प्रोग्राम को चलाने वाले विश्वविद्यालयी विभागों और शिक्षा के कॉलेजों को कई तरह के संसाधनों से लैस करना होगा और प्राध्यापकगण को सघन दिशानुगमन प्रदान करना होगा। शिक्षक-अध्यापकों के निरन्तर चलने वाले पेशेवर विकास के लिए सुदृढ़ ढाँचे और प्रारूप केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाने होंगे।

संक्षिप्त टिप्पणियाँ

1. राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.एस.ई.आर.टी.) के अधिकारियों एवं पाठ्यचर्या का मसौदा और उससे सम्बद्ध सामग्रियाँ की तैयारी से सम्बद्ध समूह को मेरा आभार, विशेष तौर से क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आर.आइ.ई.), मैसूर के प्रो. सी.जी. वेंकटेश मूर्ति जिन्होंने पाठ्यचर्या क्रियान्वयन टीम का नेतृत्व किया।

2. यह अध्ययन कर्नाटक ज्ञान आयोग द्वारा 2010 में आर.वी. एजुकेशनल कन्सोर्शियम (आर.वी.ई.सी.), बेंगलूरु के जिम्मे लगाया गया था। पूरे कर्नाटक से 108 शिक्षक-शिक्षा संस्थानों (जो उस समय मौजूद कॉलेजों का 10% थे) से एक स्तरीकृत रैण्डम सैम्पल (अनियमित/ संयोगिक नमूना) लेकर अध्ययन किया गया।

3. अधिकतर पाठ्यक्रमों के संयोजक विषय-क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रेक्टिशनर के साथ काम करते हुए पोजीशन पेपर लिखने, सम्बद्ध पाठ्यक्रम-पाठ्यचर्या का मसौदा तैयार करने, शिक्षक-अध्यापकों की निर्देशिका और विद्यार्थी-शिक्षकों के लिए स्रोत-पुस्तिका तैयार करने के साथ-साथ कर्नाटक राज्य प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (के.एस.ई.ई.बी.) की अन्तिम परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्रों का पहला सेट तैयार करने में शामिल रहे।

References:

- Batra, Poonam. 2014. Problematising teacher education practice in India: Developing a research agenda. *Education as change*. 18(1); pp.55-58
- Department of State Education Research and Training (DSERT). 2012. Karnataka *Elementary Teacher Education Curriculum. Bangalore*: DSERT.
- Department of State Education Research and Training (DSERT). 2013. *Teacher Educators' Handbook*. Bangalore: DSERT.
- Loughran, J. 2014. Professionally developing as a teacher educator. *Journal of Teacher Education*. 65 (4). pp. 271-283.
- National Council for Educational Research and Training (NCERT), 2005. *National Curriculum Framework*. New Delhi: NCERT.
- National Council for Teacher Education (NCTE), 2009. National Curriculum Framework for Teacher Education. New Delhi: NCTE.
- Ramchand, Mythili. 2011. *Pre-Service Elementary Teacher Education in Karnataka: A Status Study*. Bangalore: Karnataka Knowledge Commission.
- Sockett, Hugh. 2008. The Moral and Epistemic Purposes of Teacher Education. In Cochran-Smith, Feiman-Nemser & Mc Intyre (Eds). *Handbook of Research on Teacher Education*. New York: Routledge.

मैथिलि रामचन्द वर्तमान में आर.वी. एजुकेशनल कन्सोर्शियम(आर.वी.ई.सी.), बेंगलूरु की निदेशक तथा टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस (टिस), मुम्बई में एड्जंक्ट असोशिएट प्रोफेसर हैं। आर.वी.ई.सी. के मुख्य काम का केन्द्र प्रारम्भिक शिक्षक-शिक्षा में शोध एवं विकास का क्षेत्र है। मैथिलि इस समय आर.वी.ई.सी. की मौजूदा परियोजनाओं को स्थिरता प्रदान करने तथा टिस के साथ शिक्षक-अध्यापकों के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स की तैयारी में व्यस्त हैं। समावेशी शिक्षा और शिक्षा का दर्शन उनकी अन्य रुचियों के क्षेत्र हैं। उनसे rvecbangalore@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** रमणीक मोहन